पत्रांक–04 / वि0(NULM)-01/14 129 ./न0वि0एवं आ0 वि0

स्मार पत्र

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

अपर सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम (भागलपुर, बिहारशरीफ एवं गया को छोड़कर)।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद / नगर पंचायत (बक्सर, बख्तियारपुर, जमालपुर, कहलगांव एवं बैरगनियां को छोड़कर)।

पटना, दिनांक– 19/01/17

विषयः– **केन्द्रीय योजना के बैंक खाता को भारत सरकार के PFMS से पंजीकृत करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–2597 दिनांक–24.11.2016**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा केन्द्रीय योजना यथा HFA, DAY-NULM, AMRUT, SBM के बैंक खातों को भारत सरकार के Public Finance Management System (PFMS) से निबंधित कराने हेतु योजनावार बैंक विवरणी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जो आदिनांक अप्राप्त है। उल्लेखनीय है कि इसके बिना केन्द्रांश की राशि की विमुक्ति भारत सरकार द्वारा नही की जायेगी। इस हेतु भारत सरकार द्वारा बार–बार स्मारित किया जा रहा है। विदित हो कि बुडा के सभी केन्द्रीय योजना के बैंक खातों का निबंधन PFMS से कर दिया गया है। परन्तु नगर निकाय द्वारा केन्द्रीय योजना के बैंक खातों का निबंधन नही कराया गया है।

अतः अनुरोध है कि सभी केन्द्रीय योजना के बैंक खातों को PFMS से पंजीकृत करा दिया जाए। यदि इस कार्य में आपको कठिनाई हो तो निम्न विवरण के अनुसार सभी सूचनाऐं दो दिनों के अन्दर विभाग को विभागीय E-mail एवं MIS Cell के E-mail पर भेज दिया जाय, ताकि विभाग से ही आपके केन्द्रीय योजनाओं के बैंक खातों को भारत सरकार के PFMS से निबंधित कराया जा सके।

क्रम सं0	योजना का नाम	नगर निकाय का पता	बैंक विवरणी	अभ्युक्ति
1	SJSRY/DAY-NULM	पता– संबंधित पदाधिकारी का नाम एवं ऑफिस का पता TAN N0- P.O- Pin Code- Mob. N0- Land Line N0-	बैंक का पता खाता सं0– IFSC कोड खाता का प्रकार	
2	AMRUT	DO	DO	
3	HFA	DO	DO	
4	RAY	DO	DO	
5	SBM	DO	DO	

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,
19/1/17
अपर सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।